कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 8

कोयला मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		286.93	152.50	439.43	400.92	150.99	551.91	311.52	152.52	464.04
पूंजी		*365.07*	*...*	*365.07*	*66.52*	*...*	*66.52*	*15.48*	*...*	*15.48*
जोड़		**652.00**	**152.50**	**804.50**	**467.44**	**150.99**	**618.43**	**327.00**	**152.52**	**479.52**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.39	4.68	5.07	0.55	4.71	5.26	...	6.52	6.52
श्रम और रोजगार										
कोयला खान श्रमिक कल्याण										
2. कोयला खान पेंशन योजना/जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	2230	...	30.48	30.48	...	30.15	30.15	...	30.61	30.61
कोयला और लिग्नाइट										
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	...	75.00	75.00	...	73.82	73.82	...	72.90	72.90
4. कोयला खान क्षेत्रों में यातायात आधारमूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान की स्कीम	2803	156.99	...	156.99	300.00	...	300.00	206.00	...	206.00
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	11.70	...	11.70	1.50	...	1.50	7.55	...	7.55
7. क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	32.26	...	32.26	35.21	...	35.21	49.19	...	49.19
8. पुनर्वास, अग्नि नियंत्रण और झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में अवतलन	2803	7.24	...	7.24	8.04	...	8.04	...	...	...
9. व्यापक ड्रिलिंग	2803	37.27	...	37.27	50.00	...	50.00	13.92	...	13.92
10. पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण	2803	12.17	...	12.17	5.41	...	5.41	34.65	...	34.65
11. कोयला नियंत्रक	2803	0.22	2.08	2.30	0.21	2.05	2.26	0.21	2.22	2.43
12. भुगतान आयुक्त	2803	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...	0.27	0.27
जोड़-कोयला और लिग्नाइट		**257.85**	**117.34**	**375.19**	**400.37**	**116.13**	**516.50**	**311.52**	**115.39**	**426.91**
13. सरकारी उद्यमो में निवेश	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4803	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6803	328.56	...	328.56	66.52	...	66.52	15.48	...	15.48
	जोड़	*328.56*	*...*	*328.56*	*66.52*	*...*	*66.52*	*15.48*	*...*	*15.48*
14. *कोयला पूरित क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय*										
14.01 कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	84.00	84.00
14.02 घटाइए- कोयला पूरित क्षेत्र अधिग्रहण से पूरा किया गया व्यय	4803	...	-25.00	-25.00	...	-25.00	-25.00	...	-84.00	-84.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	3451	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...
	2803	28.65	...	28.65	...	...	...	...	...	...
	4803	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6803	36.51	...	36.51	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*65.20*	*...*	*65.20*	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***652.00***	***152.50***	***804.50***	***467.44***	***150.99***	***618.43***	***327.00***	***152.52***	***479.52***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
13.01 नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	12801	...	538.84	538.84	...	494.95	494.95	...	292.72	292.72
	12803	282.69	167.28	449.97	...	401.81	401.81	...	292.23	292.23
	जोड़	*282.69*	*706.12*	*988.81*	*...*	*896.76*	*896.76*	*...*	*584.95*	*584.95*
13.02 कोल इण्डिया लिमिटेड	12803	45.87	2264.03	2309.90	66.52	1473.48	1540.00	15.48	2174.52	2190.00
13.03 सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	12803	...	355.00	355.00	...	290.00	290.00	...	405.00	405.00
जोड़		**328.56**	**3325.15**	**3653.71**	**66.52**	**2660.24**	**2726.76**	**15.48**	**3164.47**	**3179.95**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. विद्युत	12801	...	538.84	538.84	...	494.95	494.95	...	292.72	292.72
2. कोयला और लिग्नाइट	12803	652.00	2786.31	3438.31	467.44	2165.29	2632.73	327.00	2871.75	3198.75
जोड़		**652.00**	**3325.15**	**3977.15**	**467.44**	**2660.24**	**3127.68**	**327.00**	**3164.47**	**3491.47**

1. **सचिवालय** : इसमें कोयला विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **कोयला खान पेंशन योजना को अंशदानः** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू की गई। इस योजना के लिए निधियों का वित्तपोषण कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1.167% के अंशदान द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार भी 1600 रुपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा के अधीन कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.67% की दर पर अंशदान करती है। योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। कोयला खनिकों के लिए जमा से संबद्ध बीमा योजना के लिए भी व्यवस्था की जाती है।

3. **कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा** : इसमें भंडारण और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए की गई व्यवस्था सामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग कोयले पर 3.50 रुपए प्रति टन और कोकिंग कोयले पर 4.25 रुपए प्रति टन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है।

4. **कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना का विकासः** इसमें कोयला खान क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन आधारभूत ढ़ाचे के विकास के लिए व्यवस्था है। यह व्यवस्था (ऊपर क्रम संख्या 3 में उल्लिखित कोयले पर उत्पाद शुल्क) एकत्रित उपकर में से की जाती है।

5. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदानः** कोल इंडिया लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियों अर्थात् ईस्टर्न कोल फील्डस और भारत कोकिग कोल लिमिटेड और सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

6. **अनुसंधान और विकासः** कोयला उद्योग में प्रत्याशित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है।

7. **क्षेत्रीय अन्वेषण** : इसमें कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला और लिग्नाइट के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

8. **झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में पुनर्वास, अग्नि नियंत्रण और अवतलनः** झरिया और रानीगंज कोल्फील्ड्स असुरक्षित क्षेत्रों के लिए एक मास्टर योजना केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा कई पुनःस्थापन परियोजनाओं को विनिदिष्ट करते हुए तैयार की गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य दो अंतरिम योजनाओं की स्वीकृति के कार्यान्वयन झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स प्रत्येक एक के लिए क्रमशः 33.88 करोड़ और 32.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के पश्चात् प्रारम्भ किया जाएगा।

9. **व्यापक ड्रिलिंगः** कोल इंडिया लिमिटेड-भिन्न कोयला खनन प्रखंडों में विस्तृत तलवेधन हेतु प्रावधान किया गया है ताकि उत्पन्न भूगर्भीय रिपोर्टें भावी निवेशको में कोयला खनन प्रखंडों में निवेश करने के निर्णय लेने और खनन योजना तैयरा करने में समय की कटौती में सहायता कर सकती है। इस उपाय से कोयला खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

10. **पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण** : इसमें कोयला खान क्षेत्रों में भूमि सुधार और अवतलन नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपाय करने के लिए प्रावधान किया गया है।

11. **कोयला नियंत्रक** : कोयला नियंत्रक के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए प्रावधान है।

12. **भुगतान आयुक्तः** भुगतान आयुक्त के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए व्यवस्था है।

13. **सरकारी उद्यमों में निवेश** :

13.01 **नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.**: एन.एल.सी. की गतिविधियों के अन्तर्गत लिग्नाइट का खनन, विद्युत उत्पादन और लिग्नाइट को धूम्ररहित ईंधन में परिवर्तित करने और यूरिया का उत्पादन करने का कार्य शामिल है। तथापि, बजट अनुमान (2002-2003) में एनएलसी के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

13.02 **कोल इण्डिया लि.**: सी.आई.एल. कोयले के उत्पादन एवं वितरण, नई कोयला खानों के आयोजन एवं विकास, कोयला संसाधनों के संरक्षण और कोयले से संबंधित अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। यह प्रावधान सी.आई.एल को बजट के माध्यम से विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए है।

13.03 **सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड** : सिंगरेनी कोलियरीज कपनी लि. आंध्रप्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उपक्रम कंपनी है जिसमें राज्य सरकार का अधिक हिस्सा है। यह कपनी आंध्रप्रदेश की कोयला खानों का प्रबंध करती है। तथापि, बजट अनुमान (2002-2003) में एससीसीएल के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया जा रहा है।